न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 23/2025

श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामशरण खंगार निवासी चारभुजा मन्दिर के पास निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.05.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 निवाई तहसील स्थापना वर्ष सूचना चाहने बाबत्।

2 निवाई तहसील में पंजीयन कार्य प्रारंभ वर्ष सूचना चाहने।

3 निवाई तहसील स्थापना वर्ष पूर्व से निवाई तहसील पर राजसवाई जयपुर का अधिकार होना (अधीन होना) शासन होना सूचना चाहने।

4 निवाई तहसील में राज सवाई जयपुर के स्टाम्पों पर पंजीयन कार्य होना सूचना चाहने।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0 पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक को पत्र कमांक 392 दिनांक 12.03.2025, 457 दिंनाक 27.03.2025, 531 दिनांक 15.04.2025 व 605 दिनांक 25.04.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक